राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–6056/2022

रश्मि कुमारी मंगल (कर्मचारी आई.डी.– आरजेएसएम201732004273)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अतिरिक्त मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 25.11.2022
आदेश की दिनांक : 08.12.2022

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अशोक बंसल, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री गौरव सिंह, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
मातादीन शर्मा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी व्याख्याता हिन्दी के पद पर रा.बा.उ.मा.वि. खंडार, सवाईमाधोपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) के द्वारा उसका स्थानान्तरण/पदस्थापन महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, सोमेश्वरपुरी, जयपुर पूर्व, जिला जयपुर में किया गया है। उनका आगे तर्क है कि महात्मा गांधी विद्यालय में पदस्थापन चयन के आधार पर किया जाता है जबकि अपीलार्थी ने महात्मा गांधी विद्यालय में नियुक्ति हेतु चयन प्रकिया में भाग ही नहीं लिया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का आगे यह भी तर्क है कि अपीलार्थी ने सवाईमाधोपुर में ही रिक्त पद पर स्थानांतरण के लिए अनुरोध किया था, परंतु स्थानांतरण जयपुर किया गया है, जो अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र के क्रम में किया जाना गलत है। आलौच्य स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी को टीए/डीए प्रदान नहीं किये जाने का इन्द्राज है, अर्थात् अपीलार्थी के निवेदन पर स्थानांतरण किया जाना बताया गया है, जबकि अपीलार्थी ने जयपुर में स्थानांतरण का कोई निवेदन नहीं किया था, बल्कि अपीलार्थी के प्रार्थना पत्र में इच्छित स्थान

सवाईमाधोपुर ही बताया था। ऐसे में प्रार्थना पत्र पर सही प्रकार से विचार नहीं किया गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी के पति सवाईमाधोपुर में ही काम करते है तथा माता–पिता वृद्ध है। अतः अपीलार्थी का स्थानांतरण जयपुर जिले में किया जाना उचित नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। अपीलार्थी ने जो दस्तावेज प्रस्तुत किये है, उससे प्रकट होता है कि अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र अनुलग्नक–4 में अपना बच्चा छोटा होना, सास–ससुर का स्वास्थ्य खराब होना अंकित करते हुए अपना स्थानांतरण सवाईमाधोपुर जिले में करने की प्रार्थना की थी। आलौच्य स्थानांतरण आदेश में अपीलार्थी का स्थानांतरण जयपुर में किया गया है। अपीलार्थी को स्थानांतरण आदेश में टीए/डीए नहीं प्रदान किया जाना भी अंकित है, अर्थात् अपीलार्थी के निवेदन पर स्थानांतरण किया जाना माना गया है।
4. राजकीय अधिवक्ता श्री गौरव सिंह द्वारा मौखिक रूप से व्यक्त किया गया कि अभिलेख की जांच करने पर पाया गया है कि अपीलार्थी द्वारा जयपुर में स्थानांतरण हेतु कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।
5. अतः उपरोक्त समस्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन आदेश की दिनांक से 4 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 6 सप्ताह में अभ्यावेदन पर अपीलार्थी द्वारा अपील में वर्णन अनुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था तथा उसके प्रार्थना पत्र पर गलत रूप से जयपुर स्थानांतरण कर दिया गया। इसकी कार्यालय अभिलेख से जांच पड़ताल करते हुए आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण ने किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 10.10.2022 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक के लिए स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।
6. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।
7. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(मातादीन शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)